भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 264
(04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

विकास संबंधी परियोजनाएं

264. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) जैसी विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या निम्न स्तरीय कार्य के लिए ठेकेदारों को जवाबदेह ठहराने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(ग) यदि हां, तो पूरे किए गए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के लिए चिन्हित परियोजनाओं की वर्षवार संख्या कितनी है और उनके समाधान की स्थिति क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग) : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि , कार्यक्रम के तहत बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए पीएमजीएसवाई के तहत तीन स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र लागू है अर्थात पहले स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां (पीआईयू) , दूसरे स्तर पर राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एसक्यूएम) और तीसरे स्तर पर राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) ताकि सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सड़क परिसंपत्तियों की

स्थायित्व सुनिश्चित की जा सके। गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए राज्यों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

गुणवत्ता निगरानी के दूसरे और तीसरे स्तर के तहत पीएमजीएसवाई कार्यों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। शिकायतों को प्राप्त करने और उनके निपटान के लिए संबंधित राज्यों के राज्य गुणवत्ता समन्वयकों (एसक्यूसी) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यदि कोई निर्माण कार्य संरचनात्मक या गैर-संरचनात्मक दोषों के कारण असंतोषजनक पाया जाता है , तो रिपोर्ट राज्य सरकार के साथ साझा की जाती है , जिसमें कमियों को उजागर किया जाता है और दोषों को दूर करने के लिए राज्यों को अवगत कराया जाता है। ठेकेदार को अपने खर्च पर दोषों को ठीक करना होता है। सुधार के बाद , राज्य की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करता है।

जहां तक दोषी पाए गए ठेकेदारों और क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का सवाल है, यह संबंधित राज्यों की नीति के अनुसार की जाती है।

गुणवत्ता जांच तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए , जियो-टैग्ड फील्ड लैब की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही , गुणवत्ता निगरानी प्रणाली ऐप का एक नया संस्करण विकसित किया गया है जिसमें ई-फॉर्म और अन्य पहल शामिल हैं जिससे गुणवत्ता निगरानी प्रणाली मजबूत हुई है। दोष दायित्व अवधि के दौरान ठेकेदार को रखरखाव भुगतान के लिए ई-मार्ग अर्थात सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की शुरुआत के परिणामस्वरूप , कार्य निष्पादन-आधारित अनुबंध प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सड़कों की गुणवत्ता के अनुरूप ऐसे भुगतान किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुणवत्ता जांच में लगे लोग पर्याप्त रूप से कुशल और अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) एनक्यूएम , एसक्यूएम के लिए अनिवार्य दक्षता परीक्षा आयोजित कर रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से एनक्यूएम , एसक्यूएम और पीआईयू के कौशल का विकास भी किया जा रहा है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जमीनी स्तर पर गुणवत्ता निगरानी ठीक से की जा रही है, प्रत्येक राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए) के अंतर्गत एक गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है और राज्य गुणवत्ता समन्वयकों (एसक्यूसी) को एसक्यूएम की सभी रिपोर्टों की जांच करने और इस आशय का प्रमाण पत्र मंत्रालय को देने का कार्य सौंपा गया है। संबंधित सीईओ को समय-समय पर गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर की जांच करने और निधि जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मंत्रालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है।

एनक्यूएम द्वारा की गई टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की अनुपालन के लिए राज्यों के साथ समीक्षा की जाती है। एनक्यूएम के साथ-साथ एसक्यूएम के प्रदर्शन की भी समीक्षा की जाती है और ऐसे एनक्यूएम/एसक्यूएम को पैनल से हटा दिया जाता है जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है या जो अधिकांश मामलों में बिना सोचे-समझे संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट देते हैं। पीएमजीएसवाई कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा मंत्रालय द्वारा निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों और अधिकार प्राप्त समिति जैसी विभिन्न समीक्षा बैठकों में नियमित रूप से की जाती है। मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए आईटी मॉड्यूल को भी सुदृढ़ किया है। संक्षेप में, मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी और विनियमन के लिए कदम उठाए हैं।

जब भी एनक्यूएम रिपोर्ट करते हैं कि कोई कार्य दिशा-निर्देशों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर रहा है, तो पीआईयू यह सुनिश्चित करता है कि ठेकेदार या तो दोषपूर्ण सामग्री को बदल दे या मामले के अनुसार कार्यकुशलता को सुधारे। इसके बाद, एसक्यूएम द्वारा कार्यक्षेत्र पर जाकर की गई कार्रवाई रिपोर्ट का सत्यापन किया जाता है। फिर एसक्यूसी की गई कार्रवाई रिपोर्ट की जांच करता है और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट की निगरानी एनआरआईडीए द्वारा की जाती है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा है।

(घ): दिनांक 28.01.2025 तक परियोजनाओं संबंधी एनक्यूएम निरीक्षणों की संख्या, उनके द्वारा दी गई असंतोषजनक (यू) ग्रेडिंग तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के माध्यम से प्रस्तुत समाधानों की संख्या निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	एनक्यूएम निरीक्षण की कुल संख्या	एनक्यूएम द्वारा असंतोषजनक बताए गए कार्यों की कुल संख्या	राज्य द्वारा प्रस्तुत एटीआर की संख्या
2021-22	9260	635	565
2022-23	7162	631	537
2023-24	5363	698	575
2024-25 (दिनांक 28 जनवरी 2025 तक)	3797	576	336

******